मेरठ विकास प्राधिकरण

की

106 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 10—09—2015

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 10–09–2015 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 106वीं बैठक कार्यालय मण्डायुक्त सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 10–09–2015 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री राजेश कुमार,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री पंकज यादव,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री दिनेश यादव	सहायक नगर आयुक्क्त, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
4.	श्री के0बी0 शुक्ला	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य
5.	डा0 दिनेश कुमार	संयुक्त निदेशक, संयुक्त कोषागार एवं पेन्शन, मेरठ (वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित)।	सदस्य
6.	श्री आर0के0 सक्सैना	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ (प्रतिनिधि आवास आयुक्त, मेरठ)	सदस्य
7.	श्री के0पी0सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य

8.	श्री राकेश कुमार	उप महाप्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री मनोज कुमार	सहायक वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि आयुक्त, एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद।	सदस्य
10.	डा0 राजेश सिंह	शासन द्वारा नामित	सदस्य
11.	श्री परमिन्दर इशू	शासन द्वारा नामित	सदस्य
12.	श्रीमती इरशाद जहाँ	शासन द्वारा नामित	सदस्य
13.	श्रीमती मिष्ठा देवी	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
14.	श्री राजेन्द्र सिंह	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
15.	श्री पंकज कतीरा	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
16.	श्री विजय आनन्द	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
17.	श्री कुमार विनीत	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक / सदस्य

प्राधिकरण की 105वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–03–2015 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

105वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

106वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10–09–2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव–		
मद सं0–01	वित्तीय वर्ष 2014–15 का वास्तविक तथा गत बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रस्तावित एवं दिनांक 31–08–2015 तक का वास्तविक आय–व्ययक प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रस्तावित बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
मद सं0–02	उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के दृष्टिगत विगत वर्षों में की गयी नियुक्तियों का विनियमितीकरण करने का प्रस्ताव।	उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के दृष्टिगत विगत वर्षों में की गयी नियुक्तियों के विनियमितीकरण के कार्योत्तर स्वीकृति का विवरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
मद सं0–03	मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहिया नगर योजना में बुनकर उद्योग हेतु आवंटित भूखण्डों पर कैंची उद्योग के आवंटित भूखण्डों की भाँति आवंटन की शर्तों में शिथिलता दिये जाने हेतु श्री मतीन अहमद अन्सारी, अध्यक्ष, मेरठ खद्दर टेक्सटाईल वीवर्स क्लस्टर (जनपद मेरठ) द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 25–03–2015 के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहिया नगर योजना में बुनकर उद्योग हेतु आवंटित भूखण्डों पर कैंची उद्योग के आवंटित भूखण्डों की भाँति आवंटन की शर्तों में शिथिलता दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0–04	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निविदा पद्विति से सामुदायिक केन्द्रों के संचालन में समयावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण के समस्त सामुदायिक केन्द्रों/पार्को के संचालन में समयावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त लाईसैंस समयावधि 03 वर्ष से 10 बर्ष बढ़ायी गयी। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन को टोकेन धनराशि पर लीज/लाईसैंस पर दिये जाने का प्रयास किया जाये। यदि ऐसा सम्भव न हो तो ही अन्य को देने हेतु निविदा करायी जाये।
मद सं0–05	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के संचालन के सम्बन्ध में।	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि भवनों का निर्माण निविदा शर्तो के अनुसार करके आवंटी को सुपर्दगी के वक्त फिनिशिंग करके दिया जाय।
मद सं0–06	माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार की लोकप्रिय ''समाजवादी आवास योजना'' के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग के निर्माण हेतु विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में दर्शित प्रश्नगत भूमि में महायोजना मार्ग की चौड़ाई के अन्तर्गत आने वाली भूमि को छोड़ते हुए अवशेष भूमि को कृषि क्षेत्र उपयोग से आवासीय क्षेत्र भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव	माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार की लोकप्रिय ''समाजवादी आवास योजना'' के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग के निर्माण हेतु विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में दर्शित प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग प्रवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि निर्णय से एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड को सूचित कर दिया जाये।

मद सं0–07	मेरठ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्ग के, ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्हें 29 जून, 1991 से पूर्व से नियुक्त एवं लगातार कार्यरत रहने के फलस्वरूप आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 01/आठ–6–11–124ई/10 दिनांक 04 जनवरी, 2011 के अन्तर्गत नियत शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन सृजित 352 अधिसंख्य पदों पर विनियमित किये जाने के उपरान्त दिनांक 29 जून, 1991 को नियुक्ति का दिनांक मानते हुए ए0सी0पी0 (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन) का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्धत में।	ऐसा किया जाना नियम विरूद्ध होगा। अतः बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया।
मद सं0–08	ले0क0 विवेक सूद, अध्यक्ष, हेरिटेज स्कूल पॉकेट पी, पल्लवपुरम, डा0 मोदीपुरम, मेरठ के पत्र दिनांकित 29–07–2015 के सम्बन्ध में पल्लवपुरम योजना फेस–2 पॉकेट पी में स्थित शैक्षिक भूखण्ड सं0 पी0एस0–02 पर संचालित 'हेरिटेज स्कूल' से मिले हुए पार्क को स्कूल के बच्चों के खेलने–कूदने के लिये लाईसैंस पर दिये जाने का प्रस्ताव।	पार्कों के लिये पृथक से नियम एवं शर्तें बनाकर लीज/लाईसैंस पर दिये जाने के लिये उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

मद सं0–09	भू–अर्जन सम्बंधी वादों/रिट याचिकाओं/एस0एल0पी0 आदि में मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तरवार आख्या तैयार करने, प्रतिशपथ–पत्रों की जांच करने व उनमें जांचोपरान्त संशोधन करने सम्बन्धी एवं शासन तथा मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में पैरवी करने वाले अधिवक्ता की फीस निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 10	स्पोर्टस् गुडस् कॉम्पलैक्स योजना पॉकेट–ए में 1940.00 वर्ग मी0 के भूखण्ड पर व्यवसायिक क्रिया अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।	स्पोर्टस् गुडस् कॉम्पलैक्स योजना पॉकेट–ए में 1940.00 वर्ग मी0 के भूखण्ड की नीलामी व्यवसायिक दरों पर की जा चुकी हैं। अतः तलपट मानचित्र संशोधन का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में लाया जाये।
मद सं0 11	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की निर्धारित दरों के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु योजनाओं की दरें अनुमोदित की गयी।
मद सं0 12	प्राधिकरण की गंगानगर, डा0 राम मनोहर लोहियानगर एवं वेद व्यासपुरी योजना के कृषकों की शताब्दी नगर योजना की तर्ज पर अतिरिक्त प्रतिकर की माँग के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की गंगानगर, डा0 राम मनोहर लोहियानगर एवं वेद व्यासपुरी योजना के कृषकों की शताब्दी नगर योजना की तर्ज पर अतिरिक्त प्रतिकर की माँग के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष जिलाधिकारी की

		अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। इसमें संस्तुत मुआवजे की दरों में भूमि अधिग्रहण के समय से विभिन्न न्यायालयों एवं समितियों द्वारा की गयी संस्तुतियों एवं वास्तविक भुगतान किये गये भुगतानों को आधार बनाकर तार्किक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। बोर्ड द्वारा समिति की संस्तुति पर सैद्धान्तिक सहमति दी गयी। इस सम्बन्ध में शासनादेश के प्राविधानों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:– "शासनादेश सं0 1727/9–अर–3–2001–87एल0ए0/2000 दिनांक 16 जून, 2001 के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रकरण का सम्यक अध्ययन एवं परीक्षण कर सुविचारित संस्तुति, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रस्तुत करेगी जिसे मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। मण्डलायुक्त के अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव पुनः आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विस्तृत प्रतिकर निर्धारण, प्रतिकर के बदले भूमि देने एवं प्रतिकर की वित्तीय व्यवस्था एवं वितरण रूप–रेखा प्रस्तुत की जायेगी। प्रासंगिक प्रकरण में यह भी निर्देश दिया गया कि किसान स्थल पर प्राधिकरण के कार्यों में गतिरोध नहीं

		उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्तवत् सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 13	प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में स्थित जोनल पार्क को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	वेद व्यासपुरी स्थित जोनल पार्क हेतु कन्सेप्ट डिजाईन सहित ऑफर माँग लिये जाये तथा बोर्ड में प्रस्तुत किये जाये। बोर्ड द्वारा अनुमोदित कन्सेप्ट डिजाईन देने वाले आवेदक की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जाये। भवन उपविधि के अनुसार ही भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया जाये शेष पार्कों के लिये पृथक से नियम व शर्तें बनाकर लीज/लाईसैंस पर दिये जाने के लिये उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
मद सं0 14	प्राधिकरण की शताब्दी नगर, वेदव्यासपुरी व लोहिया नगर योजनाओं हेतु अर्जित भूमि पर बनी आबादी की भूमि को अर्जन मुक्त करने सम्बंधी प्रस्ताव।	प्राधिकरण की शताब्दी नगर, वेदव्यासपुरी व लोहिया नगर योजनाओं हेतु अर्जित भूमि पर बनी आबादी की भूमि को अर्जन मुक्त करने सम्बंधी प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि भूमि पर वर्ष 1990 या उससे पहले से कृषकों का आबादी के रूप में कब्जा चला आ रहा है, अतः भूमि समायोजन वर्ष 1990 की दरों पर किया जाना उचित होगा तथा यह कार्यवाही एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि यह

		सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि किसी कृषक का कोई विवाद किसी न्यायालय में चल रहा हो तो कृषक द्वारा उसे वापस लिया जाये।
105वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–03–2015 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–		
अनुपूरक मद सं0–01	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के समूह ''ग'' व ''घ'' के कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के समूह ''ग'' व ''घ'' के कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समूह ''ग'' के समस्त कर्मियों को रूपये 50/– की वृद्धि तथा समूह ''घ'' के समस्त कर्मियों का रूपये 100/– की वृद्धि के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक मद सं0–02	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन भवनों के मूल्यांकन को कम करने के सम्बन्ध में।	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन भवनों के मूल्यांकन को कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
अनुपूरक मद सं0–03	मेरठ विकास क्षेत्र की सीमा पुनः बढ़ाये जाने हेतु।	मेरठ विकास क्षेत्र की सीमा बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद सं0—04	मानचित्र स्वीकृति के समय लिए जाने वाले बाह्य विकास शुल्क की देयता को किश्तो में लिए जाने के सम्बन्ध में।	सैद्धान्तिक स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गयी कि रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।
अनुपूरक मद सं0—05	निर्मित आवासीय क्षेत्र में तलपट मानचित्र/सब–डिविजन प्लान स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव विचार करते हुए भवन सं0 05, करोली रोड़, मेरठ पर प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं0 2/15 की स्वीकृति ''केस–टू–केस'' आधार पर प्रदान की गयी।
अनुपूरक मद सं0—06	पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेटस एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोडाउन्स की स्थापना से सम्बन्धित मानकों में संशोधन तथा इस हेतु महायोजना/जोनल डेवल्पमेन्ट प्लान/ले–आउट प्लान के अन्तर्गत भूखण्ड चिहिन्त करने के सम्बन्ध में।	पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेटस एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोडाउन्स की स्थापना से सम्बन्धित मानकों में संशोधन तथा इस हेतु महायोजना/जोनल डेवल्पमेन्ट प्लान/ले–आउट प्लान के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 432/8–3–15–261 विविध/11 दिनांक 31–03–2015 अंगीकृत किया गया।
अनुपूरक मद सं0—07	उ0प्र0 शासन की निम्न–मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के लिए महत्वाकॉक्षी समाजवादी आवास योजना के कियान्वयन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण की दिल्ली रोड़ पर स्थित शताब्दीनगर आवासीय योजना के	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

	सेक्टर–4सी (पार्ट) के अन्तर्गत 18133.00 वर्ग मी0 भूमि सार्वजनिक सुविधायें भू–उपयोग तथा 21890.00 वर्ग मी0 भूमि व्यवसायिक उपयोग को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	
अनुपूरक मद सं0–08	प्राधिकरण की आवासीय योजना श्रद्धापुरी के फेस–द्वितीय में सीवरेज निस्तारण हेतु प्रस्ताव।	प्राधिकरण की आवासीय योजना श्रद्धापुरी के फेस–द्वितीय में सीवरेज निस्तारण हेतु प्रस्ताव पर माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि निर्माणाधीन एस0टी0पी0 की तकनीकी जाँच करा ली जाय।
अनुपूरक मद सं0–09	आवंटन निरस्त होने के पश्चात् पुर्नजीवित करने पर पुर्नजीवन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश के अनुसार वर्तमान प्राधिकरण दर पर बिना कुछ अतिरिक्त वृद्धि किये हुए सम्पत्ति की बहाली की जाये किन्तु यह आवंटित दर से कम न हो।
अनुपूरक मद सं0–10	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता 500/– प्रति माह अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक मद सं0–11	मेरठ शहर के मध्य स्थित "अब्बु के मकबरे" का जीर्णोद्वार/सुदृढीकरण एंव सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मेरठ शहर के मध्य स्थित "अब्बु के मकबरे" का जीर्णोद्वार/सुदृढीकरण एंव सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त ए0एस0आई0 को एडाप्ट किये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

अनुपूरक मद सं0—12	मेरठ शहर में स्थित आधुनिक चीरघर के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक मद सं0—13	सैनिक विहार योजना के पाकेट—बी मे प्राइमरी स्कूल हेतु रिक्त भूमि पर दुर्बल आवासीय योजनान्तर्गत आवासीय भवन बनाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध मे प्रस्ताव।	सैनिक विहार योजना के पाकेट—बी मे प्राइमरी स्कूल हेतु रिक्त भूमि पर दुर्बल आय वर्ग के आवासीय भवन बनाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध मे प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि जिलाधिकारी स्कूल आदि के मानको को जाँच करा लें, यदि कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं पाया जाता है तो प्रासंगिक प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को अधिकृत किया गया।
अनुपूरक मद सं0—14	स्पोर्ट्स गुड्स योजना मेजर ध्यानचन्द नगर योजना में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 1, 2 व 3 के भौतिक कब्जा दिये जाने हेतु काश्तकारों के मुआवजे के परिपेक्ष्य में प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की स्पोर्ट्स गुड्स योजना मेजर ध्यानचन्द नगर योजना के कृषकों की अतिरिक्त प्रतिकर की माँग के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:— "शासनादेश सं0 1727 / 9—अर—3—2001—87एल0ए0 / 2000 दिनांक 16 जून, 2001 के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रकरण का सम्यक अध्ययन एवं परीक्षण कर सुविचारित संस्तुति, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रस्तुत करेगी जिसे मण्डलायुक्त

		द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। मण्डलायुक्त के अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव पुनः आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विस्तृत प्रतिकर निर्धारण, प्रतिकर के बदले भूमि देने एवं प्रतिकर की वित्तीय व्यवस्था एवं वितरण रूप–रेखा प्रस्तुत की जायेगी। प्रासंगिक प्रकरण में यह भी निर्देश दिया गया कि किसान स्थल पर प्राधिकरण के कार्यो में गतिरोध नहीं उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्तवत् सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
अनुपूरक मद सं0–15	मेरठ विकास प्राधिकरण की श्रद्धापुरी योजना के फेस–II पॉकेट–डी के ले–आउट में प्रस्तावित सेटेलाईट बस अड्डे हेतु लगभग 5.00 एकड भूमि का भू–उपयोग को ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	मेरठ विकास प्राधिकरण की श्रद्धापुरी योजना के फेस–II पॉकेट–डी के ले–आउट में प्रस्तावित सेटेलाईट बस अड्डे हेतु लगभग 5.00 एकड चिन्हित भूमि को ले–आउट में आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तन करने की सैद्धान्तिक सहमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।
अनुपूरक मद सं0–16	विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं के सम्बन्ध में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2015 के कार्यवृत्त की	विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्तावित

	स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मानचित्र के निस्तारण हेतु अनुमति प्रदान की गयी तथा निर्माणाधीन प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा शमन प्रार्थना पत्र के साथ विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
अनुपूरक मद सं0—17	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित परिसम्पत्तियों की देयता पूर्ण करने के पश्चात् वास्तविक काबिजदार, हकदार के पक्ष में सीधे विलेख किये जाने की सुविधा दिये जाने विषयक प्रस्ताव।	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित परिसम्पत्तियों की देयता पूर्ण करने के पश्चात् वास्तविक काबिजदार, हकदार के पक्ष में सीधे विलेख निष्पादित किये जाने की सुविधा दिये जाने विषयक प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा पूर्व शासनादेश के प्राविधानों के क्रम में पुनः समयावधि बढ़ाये जाने हेतु प्रकरण शासन का सन्दर्भित करने की संस्तुति की गयी।

विगत बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त एसोसियेशन ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज़ के ब्याज के प्रकरण में दिनांक 26—03—2015 को सम्पन्न 105वीं बोर्ड बैठक के अनुपूरक मद सं0 03 पर प्रतिकर मद में बकाया देयता के सम्बन्ध में अपर निदेशक, कोषागार व लेखाधिकारी, मेरठ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गयी जो अपनी आख्या उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी तद्नुसार प्रासंगिक प्रकरण के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अन्य विषयः माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–

(1) जिलाधिकारी द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि तलपट मानचित्रों को पारित करने से पूर्व राजस्व विभाग की अनापत्ति ली जानी चाहिए। बोर्ड ने इस पर सहमति व्यक्त की।

(2) मा0 बोर्ड सदस्य श्री विजय आनन्द, पार्षद नगर निगम द्वारा पुराने शहर की समस्याओं के निराकरण हेतु अध्यक्ष का ध्यान आकृषित किया गया जिस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में अधीक्षण अभियन्ता श्री ए0पी0सिंह, मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ व श्री विजय आनन्द, पार्षद, नगर निगम व डा0 राजेश सिंह, शासन द्वारा नामित सदस्य की एक समिति गठित किये जाने का निर्देश दिया गया। उक्त समिति प्रकरण का सम्यक अध्ययन एवं परीक्षण कर अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

(3) मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत कालोलियों में मार्टगेज भूखण्डों को अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में माननीय बोर्ड का ध्यानाकृषण किया गया जिस पर विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ता, नगर निगम व अधीक्षण अभियन्ता श्री शबीह हैदर, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ व श्री पंकज कतीरा, पार्षद, नगर निगम, मेरठ तथा पविन्दर ईशू, शासन द्वारा नामित सदस्य की समिति गठित किये जाने का निर्देश दिया गया। समिति अवस्थापना सुविधाओं का स्थल पर निरीक्षण करने के पश्चात् एक माह की अवधि में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेंगी जिसे आगामी बोर्ड में रखा जाये।

(4) बोर्ड सदस्य श्री विजय आनन्द द्वारा गत बोर्ड बैठक में आई0आई0एम0टी0 के ऊपर लगाये गये ब्याज का प्रकरण उठाया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में लगाये गये ब्याज की गणना का परीक्षण दो सदस्यीय समिति से कराकर अन्तिम निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सुविधाओं को विस्तारित करने की दृष्टि से कम्प्यूटराईजेशन किये जाने व सिटिजन चार्टर क्रियान्वित किये जाने, प्राधिकरण की योजनाओं में निविदा द्वारा निस्तारित की जाने वाली भूमि की बाउन्ड्री / तारबन्दी कराने के उपरान्त ही सम्पत्ति आवंटन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(6) किसानों के प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक उनकी समस्याओं को सुनकर सकारात्मक प्रस्ताव हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी एवं समिति के समस्त सदस्यों को बधाई दी गयी।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(कुमार विनीत) सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	(राजेश कुमार) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	(आलोक सिन्हा) अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ।